

राजस्थान सरकार  
पर्यटन विभाग, जयपुर

क्रमांक: संस्था / एफ.2(31)पवि / 1991 / ७७१५ - २५

दिनांक: २४/१/२३

-: आदेश :-

श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल जो सहायक निदेशक के रूप में राज्य पर्यटन सेवा में निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर में कार्यरत है, को अधिवर्षिता आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.01.2024 से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल, सहायक निदेशक के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

१०/१२/२३  
(विष्णु कुमार गोयल)  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: संस्था / एफ.2(31)पवि / 1991 / ७७१६ - २५

दिनांक: २०.०७.२३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
2. निदेशक, पर्यटन विभाग, राज., जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज., जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, राज., जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, पर्यटन विभाग, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर।
7. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर।
8. एसीपी (उप निदेशक), पर्यटन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. लेखा शाखा, निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर।
10. श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल, सहायक निदेशक, निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

१०/१२/२३  
संयुक्त शासन सचिव